फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सोनल बनाम अमित वगैरह
दीवानी दावा संख्या – 31/2013
सी.आई.एस संख्या– 1170/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2026	श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से, श्री विक्रम पुरोहित विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा. दी. सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसके द्वारा प्रतिवादी को नोटिस दिए जाने के बावजूद भी उसने वसीयत दिनांकित 17.03.2005 की प्रति वादी को उपलबध नहीं करवाई ना ही इस वसीयत को अपने जवाब दावे के साथ प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने वादी की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात सर्वप्रथम दिनांक 02.07.2025 को अपने प्रार्थना पत्र के साथ इस वसीयत की प्रति को पत्रावली पर प्रस्तुत किया जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 16.07.2025 द्वारा रेकार्ड पर लिया गया जिसके पश्चात वादी ने इस वसीयत को निरस्त करवाने के लिए एक वाद सुनीता काकाणी बनाम अमित वगैराह इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.01.2026 को प्रस्तुत कर दिया जिस वाद पत्र की प्रमाणित प्रति को वादी ने आज फर्द के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। चूंकि इस वसीयत की प्रति वादी के पास उपलब्ध नहीं थी इसलिए वादी इस वसीयत के संबंध में अभिवचन अपने वाद पत्र में अंकित नहीं कर पाया। वादी को इस वसीयत के संबंध में अभिवचन अपने वाद पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है। वादी की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए है उनमें भी यही सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिवचनों में संशोधन वाद के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। न्यायालय को ऐसे प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करने में उच्च तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अत : ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन वाद पत्र में अंकित किए जाने की अनुमति प्रदान की जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने तर्को के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **2017(1) CJ(Civ.) (raj.) 480** अजय कुमार गुप्ता बनाम खडक सिंह व अन्य एंव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **2022(7) WLC 540 (SC) Life Insurance Corporation of india Versus Sanjeev Builders Private Limited & Anr.** प्रस्तुत किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि समान तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अपने आदेश दिनांकित 20.08.2025 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। उक्त वसीयत दिनांकित 17.03.2005 के संबंध में प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में तथ्य अंकित किए थे एंव उसकी फोटोप्रति को पत्रावली पर प्रस्तुत किया था। वादी चाहता तो पूर्व में भी उक्त दस्तावेज को तलब करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में तनकी संख्या 3 व 4 पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा विरचित की गई है। वादी द्वारा चाहे गए संशोधन हस्तगत	

प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक नहीं है। वादी ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी दिनांक 30.07.2025 को प्रस्तुत किया गया था इस प्रार्थना पत्र में भी वादी ने इस वसीयत दिनांकित 17.03.2005 के संबंध में अपने वाद पत्र में वाछिंत संशोधन किए जाने की अनुमति चाही थी जिस प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 20.08.2025 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस विवादित वसीयत के संबंध में प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में भी तथ्य अंकित किए थे। जहां तक इस विवादित वसीयत को प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रश्न है इस संबंध में वादी के पास यह अवसर प्राप्त था कि वह इस विवादित वसीयत को प्रतिवादी से तलब करवाये जाने बाबत उचित प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि उक्त वसीयत दिनांकित 17.03.2005 के वैध वसीयत होने के साबित करने का भार न्यायालय द्वारा प्रतिवादी पर डाला गया है एंव इस संबंध में दिनांक 08.05.2015 को तनकी संख्या 3 व 4 विरिचित की हुई है जिनके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 21.05.2025 को अपनी साक्ष्य समाप्त की जा चुकी है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो संशोधन चाहे गए है वह संशोधन इस स्तर पर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। वादी ने जिस वसीयत दिनांकित 17.03.2005 के संबंध में वाछिंत संशोधन किए जाने की प्रार्थना की है उसके संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व में ही तनकी संख्या 3 व 4 विरिचित कर इनको साबित करने का भार प्रतिवादी पर डाला गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर हस्तगत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलबिंत करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र 500/—रूपए कोस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। कोस्ट राशि प्रतिवादी को अदा की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली जिरह/साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 24.02.2026 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)